## न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन कमांक 162/18

ध्यानेंद्र सिंह पुत्र गंधर्व सिंह उर्फ किलेदार सिंह गुर्जर, आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम जमदारा, थाना मौ, तहसील गोहद जिला भिण्ड, म0प्र0

——-आवेदक

विर पुलिस थाना मौ

———अनावेदक

08-05-2018

आवेदक / अभियुक्त ध्यानेंद्र सिंह की ओर से जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना मौ से अपराध कमांक 303/15 अंतर्गत धारा 420, 467 व 468 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त ध्यानेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री जी०एस० गुर्जर ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र धारा 437 दं०प्र०सं० का खारिज हो जाने के उपरांत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि प्रथम नियमित जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा ४३९ दं०प्र०सं० पर उभयपक्ष को सूना गया।

आवेदक / अभियुक्त ध्यानेंद्र सिंह की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। एक झूंठी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। आवेदक के द्वारा कोई भी छल—कपट कर भूमि क्रय नहीं की है। आवेदक नवयुवक है, कहीं भागने वाला नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है तथा सहअभियुक्त अतेंद्र सिंह की नियमित जमानत माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के एमसीआरसी क्रमांक 8783/18 में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में हो चुकी है। अतः समानता के आधार पर आवेदक को जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना एवं मामले में आवेदक / अभियुक्त ध्यानेंद्र सिंह के द्वारा शासकीय भूमि के संबंध में अवैध रूप से फर्जी एवं कूट रचित दो विक्रय पत्र निष्पादित कराये जाने के कारण उसके कृत्य को अधिक गंभीर होना बताते हुये प्रकट किया है कि आवेदक समानता के आधार पर जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं उसकी गिरफतारी मामले में दिनांक 31.12.15 को अपराध की कायमी से

कई वर्ष गुजर जाने के उपरांत किंटन प्रयासों के बाद दिनांक 30.04.18 को हो पाई है तथा अन्य सहअभियुक्तगण अभी—भी फरार हैं और उनकी गिरफतारी सुनिश्चित करने हेतु 5—5 हजार रूपये का इनाम भी घोषित किया गया है। तद्नुसार जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन सहित संपूर्ण केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है अभियोजन के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद जिला भिण्ड के द्वारा मामले में की गई गहनता से जांच उपरांत दिये गये जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसीलदार श्री दुर्ग सिंह मौर्य व पटवारी हरगोविंद सहित विकेता/केतागण वीरेंद्र, श्रीमती रामवती, ज्ञान सिंह, सीताराम, विद्याराम, अतेंद्र सिंह एवं आवेदक ध्यानेंद्र सिंह के द्वारा आपसी षडयंत्र के अनुकम में शासकीय चरनोई की भूमि सर्वे कमांक 1569 व 522 की भूमियों के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में असत्य एवं फर्जी प्रविष्टी कराते हुये बिना किसी वैध स्वत्व व अधिकार के फर्जी एवं कूटरचित विकय पत्रों का निष्पादन कराये जाने एवं नामांतरण कराये जाने के कारण आरक्षी केंद्र मौ में सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध अप०क0 303/15 पर धारा 420, 467 व 468 भावदं०सं० के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो कि अजमानतीय होकर अति गंभीर स्वरूप का अपराध है।

यद्यपि मामले में सहअभियुक्त अतेंद्र सिंह की नियमित जमानत माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के एमसीआरसी कमांक 8783/18 में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में हो चुकी है, लेकिन माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त अतेंद्र की जमानत लंबे समय से अर्थात 22.01.18 से न्यायिक अभिरक्षा में होने एवं संबंधित पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त से अभिरक्षा में रहते हुये पूछताछ किये जाने के संबंध में कोई आवश्यकता नहीं होना बताये जाने सहित मामले की अन्य समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृत की गई है और आवेदक/अभियुक्त ध्यानेंद्र सिंह द्वारा वर्तमान मामले में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ आपसी षडयंत्र के अनुक्रम में शासकीय चरनोई भूमि के संबंध में अलग—अलग विकेताओं से दो फर्जी एवं कूटरचित रिजस्टर्ड विक्रय पत्रों का निष्पादन कराया गया है और उसकी प्रकरण में गिरफतारी अपराध कायमी के समय से कई वर्ष गुजर जाने के पश्चात दिनांक 30.04.18 को होना बताई गई है, जबकि नियमित जमानत पा चुके अभियुक्त अतेंद्र सिंह द्वारा केवल एक ही रिजस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया है। इस प्रकार मामले में आवेदक/अभियुक्त ध्यानेंद्र सिंह के कृत्य की गंभीरता सारवान रूप से अधिक है।

अतः उपरोक्तानुसार अपराध की गंभीर प्रकृति सहित मामले की संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को एवं मामले में आवेदक/अभियुक्त ध्यानेंद्र के कृत्य की भूमिका अधिक गंभीर होने को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त ध्यानेंद्र सिंह को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त ध्यानेंद्र सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त किया जाता

है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को विधिवत बापस की

जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड